राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार

प्रवास प्रतिवेदन

-:: TOUR - REPORT DATED 03/05/2017 TO 05/05/2017 ::-

{DISTRICT DEHRADOON UK} जिला देहरादून उत्तराखण्ड़

सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, भारत सरकार

सुश्री अनुसुईया उइके, उपाध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग, भारत सरकार द्वारा दिनाँक 3 मई 2017 से 05 मई 2017 तक जिला देहरादून उत्तराखण्ड़ का प्रवास किया गया। आयोग मुख्यालय से बेतार संदेश संख्या TP/VC/NCST/2017/11 दिनाँक 27/04/2017 द्वारा उत्तराखण्ड के मुख्य सचिव, पुलिस महानिरीक्षक, संबंधित जिलों के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षकों को तथा आयोग के राजस्थान जयपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के सहायक निदेशक एवं अन्य सर्व संबंधितों को सूचित किया गया।

प्रवास का विस्तृत तिथिवार विवरण इस प्रकार से है :-

दिनाँक 02/05/2017

1) दिल्ली से वायुमार्ग से प्रस्थान कर जोलीग्रान्ट एयरपोर्ट से बीजापुर गेस्टहाउस देहरादून के लिये सडक मार्ग से देहरादून आगमन।

2) निर्धारित कार्यकम के अनुसार देहरादून में आजाद हिन्द फौज के **अमर शहीद श्री केशरीचन्द जी** की गाँधीपार्क में स्थापित आदमकद प्रतिमा पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ पुष्पाँजली अर्पित की गई।

3)

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

4) शहीद श्री केशरीचन्द स्मारक समिति के संरक्षक श्री टीकाराम शर्मा जी द्वारा बताया गया कि श्री केशरीचन्द जी अनुसूचित जनजाति वर्ग से थे और स्वतंत्रता संग्राम आन्दोलन में भाग लेकर अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है।

5) उन्होंने अवगत कराया कि उत्तराखण्ड एवं सम्पूर्ण भारतवर्ष उनकी इस कुर्बानी से कृतघ्न है, किन्तु अफसोस है कि शासन स्तर से ऐसे सभी शहीदों की जयंती के अवसर पर किसी प्रकार का कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाता है। उनका सुझाव था कि भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय नीति निर्धारित की जावे कि राष्ट्ररक्षा के लिये शहीद हुए सभी शहीदों की जयंती के अवसर पर स्थानीय व्यक्तियों के सहयोग से शहीदों के स्मारकों पर प्रतिवर्ष कार्यक्रम आयोजित किये जावें ताकि आने वाली पीढ़ी शहीदों के बलिदानों का स्मरण कर उनसे प्रेरणा एवं शिक्षा प्राप्त करती रहे।

6) मार्ग में पड़ने वाले ग्राम कालसी में अमर शहीद **श्री सुरेश तोमर जी** जो कि जम्मू काश्मीर में आंतकवादियों से लडते हुए शहीद हुए थे, की प्रतिमा पर भी भावभीनी पुष्पांजली एवं श्रद्धासुमन अर्पित किये गये।

7)

(ग्राम कालसी में श्रद्धाँजली)

8) रामताल गार्डन चकराता जो कि पहाड़ पर स्थित है जिसपर **अमर शहीद केशरीचन्द जी** की आदमकद प्रतिमा स्थापित है और प्रतिवर्ष इस स्थान पर मेले का आयोजन किया जाता है जिसमें करीब 40 से 50 हजार जनजाति वर्ग के व्यक्ति एकत्रित होते हैं। यह सम्पूर्ण क्षेत्र जिसे कि जौनसारी भी कहा जाता है, अनुसूचित जनजाति वर्ग का निवास स्थल है, और मेले में अधिकाँश आदिवासी अपनी अपनी पारंपरिक वेशभूषा में आते हैं और शहीद का स्मरण करते हैं।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

9) रामताल गार्डन चकराता में अमर शहीद श्री केशरीचन्द जी की स्थापित आदमकद प्रतिमा पर स्थानीय जन प्रतिनिधियों कार्यक्रम समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के साथ पुष्पाँजली अर्पित की गई।

10)

11) कार्यक्रम स्थल पर मुख्यरूप से आदिवासी सँस्कृति की झलक, गीत, संगीत, नृत्य, तथा व्याख्यानों के माध्यम से प्रस्तत की गई। इसके साथ ही शहीद केशरीचन्द स्मारक समिति एवं उनके परिवार के सदस्यों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को सम्मानित भी किया गया।

12) क्षेत्र की आम जनजाति जनता, विधायक, स्मारक समिति के सदस्यों, जन प्रतिनिधियों द्वारा मुख्य रूप से जो समस्याएँ एवं मांग प्रस्तुत की गई उसके अनुसार – चकराता जौनसारी जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, रामताल गार्डन को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जावे, रामताल गार्डन का सौन्दर्यीकरण एवं झील का निर्माण कराया जावे, यहाँ पर स्थिति टाईगर फाल का तथा गेस्ट हाउस को विकसित किया जावे। क्षेत्र में शिक्षा की कमी है शिक्षा के लिये विद्यालय खोले जावें।

13) प्रबुद्ध जनजाति वर्ग के व्यक्तियों द्वारा अवगत कराया गया कि संघ लोकसेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा में अनुसूचित जनजाति वर्ग के सफल प्रत्याशियों का साक्षात्कार अलग से लिया जाता है, जिसमें भेदभाव की संभावना होती है। इस व्यवस्था का समाप्त कर साक्षात्मकार सभी सफल प्रत्याशियों के साथ रेण्डमाईजेशन के आधार पर लिया जाना चाहिए।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

14) यह भी ज्ञात हुआ कि जौनसारी क्षेत्र में रामताल गार्डन पर्यटन की दृष्टि से उपयुक्त क्षेत्र है किन्तु विदेशी नागरिकों के आगमन पर प्रतिबंध होने के कारण यह क्षेत्र विकसित नहीं हो पा रहा है और ऐसे में बेरोजगारी के कारण आदिवासियों को पलायन होता है।

15) मेरे द्वारा क्षेत्र का सूक्ष्मता से अवलोकन किया गया, उपस्थित जन समूह और स्थानीय जन प्रतिनिधियों, इत्यादि से चर्चा कर स्थिति ज्ञात करने का प्रयास किया गया। मैंने अपने उदबोधन में अनुसूचित जनजाति आयोग की गतिविधियों की जानकारी उपस्थित जन समूह को प्रदान की गई।

16)

17) लोगों से यह ज्ञात हुआ कि यहाँ के व्यक्तियों को आयोग के बारे में कोई जानकारी नहीं हैं। साथ ही मेरे द्वारा उपस्थित 25 से 30 हजार के आदिवासी जनसमूह को आयोग के अतिरिक्त पेशा कानून, अनुसूचित क्षेत्र के प्रावधान, के संबंध में जागरूक किया गया।

18) इस प्रवास के अवसर पर डॉ कुसुम नौटियाल, श्री मुन्नासिंह चौहान विधायक, श्री मूरतराम शर्मा, प्रतापसिंह रावत, श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री गंभीर सिंह चौहान, श्रीमती कृष्णा तोमर, श्री दौलतराम, श्री काशीराम, श्री जवाहर सिंह, श्री यशपाल सिंह, श्री नन्दासिंह नेगी, आदि उपस्थित रहे।

<u>दिनाँक 04/05/2017</u>

19) प्रातः 10.30 बजे बीजापुर गेस्ट हाउस में भारत सरकार के जनजाति कार्य विभाग के मंत्री महोदय माननीय श्री जुएल ओराम जी के पहुँचने के उपरांत प्रातः जनजाति कार्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया था जिसमें मेरे द्वारा भी भाग लिया गया। मंत्री महोदय द्वारा विभागीय गतिविधियों की समीक्षा की गई गई। आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये गये।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष Vice Chairperson
राष्ट्रीय अ. सूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

20) मंत्री जी एवं मेरे द्वारा अनुसूचित जनजाति के विकास हेतु कल्याणकारी योजनाओं शैक्षिक उन्नयन से संबंधित कार्यक्रम – पूर्वदशम छात्रवृत्ति, दशमेत्तर छात्रवृत्ति, राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का संचालक, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं का संचालन, जनजाति छात्रावास, प्रतियोगिता परीक्षा पूर्व कोचिंग की व्यवस्था, गौरादेवी कन्या धन योजना, स्वैच्छिक संस्थाओं के विद्यालयों को अनुदान, योजनाओं की प्रगति पर चर्चा एवं समीक्षा कर निर्देश दिये गये। इसके साथ ही साथ धारा 275(1) के अंतर्गत सहायता से होने वाले निर्माण कार्यो की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

21) मंत्री महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि गर्ल्स होस्टलों के निर्माण को प्राथमिकता दी जावे। रिकरिंग ग्रान्ट जो कि विगत कुछ वर्षों में प्राप्त नहीं हुई है उसे मंत्रालय स्तर से आवश्यक कार्यवाही कराने का आश्वासन दिया गया।

22) क्षेत्र के बी.एड. शिक्षित जनजाति युवकों द्वारा मुझे अपना ज्ञापन प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि गया था कि वे बी.एड. शिक्षित हैं तथा राज्य शासन में निर्धारित बैकलाग के अनुसार उन्हें नियुक्तियाँ प्रदान नहीं की जा रही हैं, इस समस्याओं को मेरे द्वारा बैठक में माननीय मंत्री महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय मंत्री महोदय द्वारा विभागीय अधिकारियों को इस समस्या का तत्काल निराकरण कर अवगत कराने के निर्देश दिये गये।

23) चूँकि इस दिन माननीय मंत्री महोदय को एकलव्य विद्यालय कालसी में कार्यक्रम था और इसी दिन प्रातः बैठक एवं पत्रकार वार्ता भी थी इसलिये निर्धारित बैठक का तथा लखमंडल प्रवास के कार्यक्रम में संशोधन कर मंत्री जी के साथ कार्यक्रमों में भाग लिया गया।

24) निर्धारित समय पर एकलव्य विद्यालय कालसी के लिये प्रवास किया गया। यह विद्यालय वर्ष 2010 से संचालित है। इस विद्यालय में पाँच जनजाति **थारू, जौनसारी, बुक्सा, भोटिया, राजी जनजाति** के विद्यार्थी अध्ययनरत हैं।

25) सम्पूर्ण शाला का भ्रमण कर विद्यालय की, भोजनशाला, भोजन की गुणवत्ता का निरीक्षण परीक्षण किया गया। शाला को व्यवस्थित साफ सुथरा, एवं भोजन गुणवत्तायुक्त पाया गया। उल्लेखनीय बात यह रही कि मंत्री महोदय एवं मेरे द्वारा छात्रों के लिये बनाया गया भोजन ग्रहण किया गया एवं बगीचे में एक एक पेड का रोपण भी किया गया।

26) प्राचार्य द्वारा कार्यक्रम में अपने उदबोधन में विद्यालय की प्रगति एवं समस्याओं से अवगत कराया गया जिसके अनुसार – विद्यालय में पानी की समस्या, आधारभूत संरचना नहीं हैं, क्लासरूमों की कमी, छात्रावास की कमी, आडिटोरियम, स्टोररूम इत्यादि की कमी है जिसकी वजह से विद्यालय के संचालन में समस्या आती है। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भारत सरकार से जो रिकरिंग ग्रान्ट प्राप्त होता है वह नहीं हो रहा है जबकि यह ग्रान्ट

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

40000 रूपये प्रति छात्र के मान से प्राप्त होता है जिससे विद्यालय के सभी कार्य होते हैं किन्तु राशि प्राप्त नहीं होने की वजह से परेशानी हो रही है।

27)

28) मेरे द्वारा अपने उदबोधन में उपस्थित जन प्रतिनिधियों, पालकों, विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को अनुसूचित जनजाति आयोग के संबंध में जानकारियाँ प्रदान की गई। आयोग की गतिविधियों, क्रियाकलाप के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया। साथ ही छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन भी किया गया।

29) क्षेत्र की जनता जो कि अनुसूचित जनजाति वर्ग की है उसकी मांग के आधार पर शिक्षा की कमी को देखते हुए मेरे द्वारा माननीय मंत्री महोदय से उक्त क्षेत्र में एकलव्य आवासीय विद्यालय प्रारंभ कराने का अनुरोध किया गया। इस पर मंत्री महोदय द्वारा त्वरितरूप से सहमति प्रदान करते हुए दो विद्यालय प्रारंभ करने की सहमति प्रदान की गई।

30) कार्यक्रम में विलंव होने के कारण मसूरी का शेष कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया।

<u>दिनाँक **05/05/2017**</u>

31) अनुसूचित जनजाति आयोग उत्तराखण्ड एवं जनजाति कल्याण विभाग उत्तराखण्ड का भ्रमण किया गया तथा कार्यालय में आयोग के अध्यक्ष श्री नृपसिंह नपलच्याल, श्री दर्शनलाल बुक्सा, श्री यशपाल सिंह, श्री मानसिंह, श्री सतीश कुमार, श्री मन्तूसिंह इत्यादि जो कि सभी अनुसूचित जनजाति वर्ग के समाजसेवी हैं, से मुलाकात कर जानकारियाँ, शासकीय योजनाओं की प्रगति, अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं आदि का जायजा लिया गया।

32) अनुसूचित जनजाति आयोग उत्तराखण्ड के अध्यक्ष श्री नपलच्याल ने बताया गया कि इस आयोग का गठन अप्रैल 2015 में किया गया था तथा उनकी अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की गई है किन्तु शेष सदस्यों की नियुक्ति नहीं की गई है और न ही सहयोगी कर्मी नियुक्त किये गये हैं जिसकी वजह से आयोग का कार्य प्रभावी रूप से संचालित नहीं हो रहा है।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

33) प्रावधान के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा आठ सदस्यों का प्रावधान किया गया है। आयोग में प्रत्येक जनजाति के दो ही व्यक्ति हो सकते हैं अर्थात सभी जनजातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान किया गया।

34) उत्तराखण्ड की कुल जनसंख्या 1,00,86,292 में से 3 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जनजाति वर्ग की है जो कि मुख्य रूप से उत्तरकाशी, चमोली, देहरादून, पिथौरागढ, नैनीताल, एवं उधमसिंह नगर में निवासरत हैं।

35) आयोग के गठन से अब तक आयोग को 119 शिकायत प्राप्त हुई हैं जिसमें आयोग ने कार्यवाही की हैं। जिसमें 24 सेवा संबंधी, 31 भूमि संबंधी, 43 अत्याचार संबंधी एवं 21 विकास संबंधी शिकायतें हैं।

36) आयोग के अध्यक्ष ने सुझाव दिया गया आयोग को संवेधानिक दर्जा दिया जावे, क्षेत्र के पिछडेपन को देखते हुए शिक्षा के लिये कुमाउ मंडल में एकलव्य विद्यालय स्थापित किया जावे।

37) यह भी सुझाव दिया गया राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार देश के सभी राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्षों के साथ प्रतिवर्ष सेमीनार का आयोजन करे तथा आयोग की गतिविधियों, नये प्रावधानों इत्यादि का आदान प्रदान किया जावे ताकि राज्य के आयोग और सशक्त होकर जनजातियों के कल्याण के कार्य प्रभावी रूप से संपादित कर सकें।

38) यह भी अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड को जयपुर स्थित राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय से जोडा गया है जो कि बहुत दूर और उल्टा पडता है। इसिलये आयोग का क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड में खोला जावे या अन्यत्र संलग्न किया जावे।

39) आयोग द्वारा उत्तराखण्ड सरकार को समय समय पर अनुशंसाएँ की गई हैं जिनमें निशुल्क कोचिंग, अनुसूचित जनजाति को प्रभावित करने वाले सभी विषयों पर आयोग से परामर्श करने, बोक्सा जनजाति के भूमिहीन सदस्यों को परिवार रजिस्टर के आधार पर जाति प्रमाण पत्र प्रदान करने, संबंधी संस्तुतियाँ की गई हैं।

40) अनुसूचित जनजाति के उपस्थित सदस्यों द्वारा अवगत कराया कि क्षेत्र में शिक्षा की कमी हैं, जनजाति वर्ग के जो सदस्य भूमिहीन हैं उन्हें जाति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं इसलिये उन्हें बिजली, पानी, मकान के आधार पर प्रमणपत्र मिलने चाहिए। बुक्सा जनजाति के नाम से संचालित शालाओं का ग्राण्ट नहीं मिलता है जबकि इन विद्यालयों में करीब 2500 गरीब आदिवासी विद्यार्थी शिक्षणरत हैं।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

41) चर्चा में यह भी ज्ञात हुआ कि प्रदेश में प्रथक से जनजाति कार्य विभाग संचालित नहीं है, समाज कल्याण विभाग के माध्यम से ही अनुसूचित जनजाति कल्याण की योजनाओं का संचालन किया जाता है,जबकि इस विभाग को प्रथक से विभाग बनाए जाने की आवश्यकता है।

42) अशोक आश्रम विद्यालय चीलियो विकासनगर के शिक्षकों तथा कर्मचारियों द्वारा संपर्क कर अनुरोध किया गया कि उक्त विद्यालय विगत 30 -40 वर्षो से संचालित है और वे इसमें अत्यन्त अल्प वेतन में कार्यरत थे जिसमें गरीब, अनाथ, बच्चियों को शिक्षा दी जाती है। संचालकों द्वारा अचानक उक्त विद्यालय को बंद करने का नोटिस दिया जाकर उन्हें सेवा से पृथक किया जा रहा है जबकि वहीं दूसरी ओर अन्य कर्मियों की भर्ती भी की जा रही है। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया।

43) निर्धारित कार्यक्रम अनुसार आयोग मुख्यालय नई दिल्ली के लिये प्रस्थान एवं दिल्ली आगमन।

प्रवास में प्राप्त प्रमुख तथ्य एवं उन पर की जाने वाली कार्यवाही की अनुशंसा

A. भारत के शहीदों को स्मरण रखने के लिये भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय नीति निर्धारित की जावे। राष्ट्ररक्षा के लिये शहीद हुए सभी शहीदों की जयंती के अवसर पर स्थानीय व्यक्तियों के सहयोग से उनके स्मारकों पर प्रतिवर्ष कार्यक्रम आयोजित किये जावें ताकि आने वाली पीढ़ी शहीदों के बलिदानों से शिक्षा प्राप्त करती रहे।

B. चकराता स्थित रामताल गार्डन को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिये वहाँ पर झील, गेस्ट हाउस, हेतु सरकारें आवश्यक प्रयास करें।

C. यूनियन पब्लिक सर्विस आयोग की परीक्षाओं में आरक्षित वर्ग के प्रत्याशियों का साक्षात्कार अलग से न कर रेण्डमाईजेशन के आधार पर एक साथ किया जावे।

D. सम्पूर्ण जनजाति क्षेत्रों में शिक्षा के अवसर और अधिक बढाए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि शिक्षा से ही सर्वांगीण विकास संभव है। जौनसारी क्षेत्र में इसे विशेष रूप से बढाए जाने की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में केन्द्रीय विद्यालय खोला जाना उपयुक्त होगा।

E. उत्तराखण्ड में अनुसूचित जनजाति वर्ग के पद रिक्त हैं, बैकलाग के आधार पर पूर्ति की जावे।

F. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सभी सदस्यों का उत्तराखण्ड के जनजाति क्षेत्र में प्रवास कर प्रमुख समस्याओं का निराकरण किये जाने की आवश्यकता है।

G. जौनसारी बाबर में विदेशियों का आगमन प्रतिबंधित है, जिसकी वजह से रोजगार की कमी है इसलिये यहाँ से जनजाति का पलायन हो रहा है। इस समस्या का गंभीरता से परीक्षण कर समाधान की आवश्यकता है।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

H. कालसी एकलव्य विद्यालय में पानी की समस्या का निराकरण, आधारभूत संरचना जिसमें खेल मैदान, हास्टल, भोजनशाला बनाई जावे। साथ ही क्लासरूम, आडिटोरियम, भंडार कक्ष, स्टाफ की कमी को पूरा किया जाना अतिआवश्यक है।

I. भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली रिकरिंग ग्रान्ट समय पर पूरी प्राप्त होने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना उपयुक्त होगा।

J. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भारत सरकार देश के सभी राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्षों के साथ प्रतिवर्ष सेमीनार का आयोजन करे तथा आयोग की गतिविधियों, नये प्रावधानों इत्यादि का आदान प्रदान हो सके और आयोग के उददेष्य पूर्ण हों।

K. बुक्सा जनजाति वर्ग के जो सदस्य भूमिहीन हैं उन्हें जाति प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं इसलिये उन्हें बिजली, पानी,मकान के आधार पर प्रमणपत्र मिलने चाहिए।

L. अनुसूचित जनजाति आयोग उत्तराखण्ड में केवल अध्यक्ष पद पर नियुक्ति की गई है, शेष सदस्यों की नियुक्ति नहीं की गई है और न ही सहयोगी कर्मी नियुक्त किये गये हैं सभी नियुक्तियों तत्काल की जानी चाहिए।

M. उत्तराखण्ड प्रदेश में प्रथक से जनजाति कार्य विभाग संचालित नहीं है, समाज कल्याण विभाग के माध्यम से ही अनुसूचित जनजाति कल्याण की योजनाओं का संचालन किया जाता है, जबकि इस विभाग को प्रथक से विभाग बनाए जाने की आवश्यकता है।

N.

सुश्री अनुसुईया उइके
उपाध्यक्ष
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
भारत सरकार नई दिल्ली

नई दिल्ली
दिनाँक 12 मई 2017

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi